

FORM No. III

APP-
Crim-1

फर्द अहकाम

(नियम 26)


ज अदालत..... उप जिला कलेक्टर..... मुकाम..... हीरोद.....

..... सत्यनारायण..... बनाम..... राम गोपाल.....

किस्म मुकदमा..... नं. 165 सन् 2016.....
\$3,80,89,188 Rupee

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुकम की तामील में जारी हुए |
|-------------------------------|--|--|
| 21/1/16 | <p>वाद वादी सत्यनारायण की ओर से ज्वपं उपस्थित कोर्ट प्रस्तुत किया सिपेट साक्ष्य देवी गरी वाद दफ्तर रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण की तलबी जैरे सम्मन किया जाकर पत्रावली दिनांक 23/01/2017 को पेश हो।</p> | |
| <p>23/1/16 सत्यनारायण</p> | <p>पत्रावली पेश करी वादी उपगीबना वाद में अभी नोटिस जारी नहीं करेगी अतः सत्यनारायण नोटिस जारी कर पत्रावली दिनांक 23/02/2017 को पेश हो।</p> | |
| <p>23/2/17</p> | <p>पत्रावली पेश हुई। वकील वादी/प्रतिवादी उपस्थित/अनु. पीठासीन अधिकारी राज. कार्य से मीटिंग/शिफ्ट मुकदमा से बाहर है पत्रावली पूर्वपत दि. 15/3/17 को पेश हो।</p> | |
| <p>15/3/17</p> | <p>पत्रावली पेश हुई। वकील वादी/प्रतिवादी उपस्थित/अनु. पीठासीन</p> | |

1.19
पत्रावली पेश हुई। वकील वकील मय वकील
उपस्थित नहीं हुए। वकील वकील द्वारा
लगभग 1 घंटे में आवेदन समय में
प्रतिवादीगण की तस्वीरें हेतु सम्मत तस्वीर
पेश नहीं किए हैं। अतः उक्त दावा
सादर 9 दिनों के अन्दर 07R11 में खारिज
किया जाता है। पत्रावली फेमल कुमार
होकर दादा तस्वीर दाखिल करते हैं।


उपखण्ड अधिकारी
दीपाद जिला-कोट (राज.)